निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 40/2022 (रसद अपील)

मनोहर लाल बैरवा पुत्र स्व॰ श्री गंगाराम निवासी बी–85, सेठी कालोनी जयपुर । प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान संख्या 307–ए, प्लाट नम्बर एल–84 नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 307 ए जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 17.12.2019 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने एवं 15 किलो गेहूं के 300/– रूपये राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.12.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स मैसर्स राजेन्द्र कुमार बैरवा उचित मूल्य दुकानदार, दुकान संख्या 307 ए, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.12.2019 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार करने एवं 15 किलो गेहूं के 300/– रूपये राजकोष में जमा कराने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी मनोहर लाल बैरवा उचित मूल्य दुकान संख्या 307 ए, जयपुर शहर का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 859/1997 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक

जिला कलक्टर
जयपुर

पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 18.10.2019 को जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन अधिकारी डिवीजन संख्या 6 की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार अग्रिम आदेशों तक निलम्बित करने तथा जून 2019 में वितरित 15 किलोग्राम गेहूं की राशि 300/– रूपये अपीलार्थी द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये है। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 04.09.2019 को अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें इस अनियमितता का उल्लेख किया गया –" आपके द्वारा राशन कार्ड संख्या 119000501921 में किसी अन्य व्यक्ति के आधार का प्रयोग कर माह जून 2019 में कुल 15 किलोग्राम गेहूँ उठाया गया जो कि गबन की श्रेणी में आता है ।." अपीलार्थी ने उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर दिनाक 4.10.2019 को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया जो ज्यों का त्यों इस प्रकार है– " उपरोक्त विषयन्तर्गत आप द्वारा राशन कार्ड संख्या 119000501921 में किसी अन्य व्यक्ति के आधारकार्ड का प्रयोग कर माह जून 2019 में 15 किलोग्राम गेहूं उठाने बाबत नोटिस जारी किया गया है। उक्त कम में निवेदन है कि उक्त राशन कार्ड के आधार कार्ड पहले से फीड था हमारे उक्त राशन कार्ड में किसी प्रकार के आधार कार्ड की फिडिंग नहीं की गई हैं । उपभोक्ता को हमारे द्वारा प्रति माह राशन सामग्री दी जा रही है। "अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार 300/–रूपये की राशि जरिये चालान जमा करा दी गई है। अपीलार्थी के विरूद्व जो रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई तथा जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही संस्थित कर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसकी प्रति अपीलार्थी को जारी कारण बताओं नोटिस के साथ नहीं भेजी गई जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की घोर अवहेलना हुई जिससे आलोच्य आदेश निरस्तनीय है। जिला रसाद अधिकारी ने ना तो उक्त मामले में कोई साक्ष्य ली और ना ही अपीलार्थी को व्यक्तिगत ही सुना गया ,यहां तक कि अपीलार्थी के प्रत्युकम नोटिस का भी कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया । पोस मशीन के सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि उचित मूल्य दुकानदारों को पोस मशीन व आधार कार्डो के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जावेगा, लेकिन अपीलार्थी को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया । जिला रसद अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस के साथ अपीलार्थी को ना तो प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दी गई ना ही उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां दी गई। जिससे अपीलार्थी ना तो नोटिस का समुचित रूप से प्रत्युत्तर दे सका और ना मामले में अपनी प्रतिरक्षा ही कर सका। इसलिए जिला रसद अधिकारी का आलौच्य आदेश पूर्ण रूप से एक तरफा व मनमाना होने से निरस्तनीय है। अपीललार्थी के विरूद्व आरोप यह नहीं है कि उसके द्वारा गेहूं का वितरण नहीं किया गया या उपभोक्ताओं को गेहूँ नहीं मिला, जिस राशनकार्डधारी उपभोक्ता द्वारा गेहूं उठाया गया था या जिन अधिकारियों ने उसके नाम भामाशाह कार्ड बनाया, उन्हें बिना

जिला कलक्टर
जयपुर

साक्ष्य में बुलाये तथा उनसे जांच किये बिना जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने जांच हेतु शिकायतकर्ता को भी ना तो साक्ष्य हेतु बुलाया, ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का कोई मौका दिया, ना तथाकथित राशनकार्ड धारक को जांच हेतु बुलाया और वह आधार जिसे फर्जी बनाया गया है के संबंध में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने कोई जांच न कर एक तरफा निर्णय पारित किया है । जिला रसद अधिकारी ने अपना आलौच्य निर्णय दिनांक 17.12.2019 को एक तरफा पारित किया है जिसकी सूचना पत्रावली में ही है अर्थात अपीलार्थी को निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गई। दिनांक 04.08.2022 को अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी जिला रसद कार्यालय जयपुर से मिलने पर व नकल प्राप्त करने पर अपील अन्दर मियाद है। जिला रसद अधिकारी ने अन्य अनेक मामलों में उपरोक्त प्रकार की अनियमितता के लिए केवल मात्र गेहूं की रकम जमा करा कर प्राधिकार पत्र को बहाल किया है (1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकान श्री रांजेश सोनी, (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020उचिम मूल्य दुकानदार मैसर्स संजय कुमार मीणा, (3) प्रकरण संख्या 588सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मुल्य दुकानदार मैसर्स शिवचण सिंह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया । इस प्रकार एक ही प्रकार के आरोप जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया ओर उनसे गेहूं की कीमत जमा करा ली गई। तब अपीलार्थी से गेहूं की कीमत जमा कराने के बावजूद उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया, वह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के दो मामलों में अलग अलग निर्णय पारित नहीं किये जा सकते । अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया है जबकि न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2018 झारखण्ड 137 में प्रतिपादित किया गया है कि– "Essential Commodities Act. (10 of 1955), S.3 Cancellation of license– Ground of black marketing - No opportunity of hearing granted to licensee prior to passing of order of cancellation of license- Amounts to violation of principles of natural justice. Order of cancellation liable to be set aside. (Paras 10,11)." जिला रसद अधिकारी ने अपना आलौच्य निर्णय एक तरफा पारित किया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई है। दिनांक 04.08.2022 को अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर प्रथम के यहां से प्राप्त हुई जिससे अपीलार्थी निर्णय की प्रति प्राप्त होने से एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत की गई है । न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2015 सुप्रीम कोर्ट 3411 स्टेट आफ पश्चिमी बंगाल बनाम आरकेबीकेलि॰ व अन्य में प्रतिपादित किया गया है कि– "Essential Commodities Act. (10 of 1955), S.3- W.B. Kerosene Oil control order (1968), Para 9, 10- Appeal-against order of cancellation or suspension of licence- Limitation of 30 day from date of order commences from date when it become effective-means from date of receipt by agent of dealer." अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की देरी को कन्डोन किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

17.12.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी डीलर द्वारा राशन कार्ड संख्या 119000501921 में परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड लिंक करके गेहूं की अवैद्य निकासी की गई है। एफ.पी.एस. डीलर की जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधार कार्ड लिंक करके गेहूं की सही–सही निकासी करे । आधारकार्ड लिंक करने का कार्य डीलर द्वारा ही किया जाता है। परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति के आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की प्रति माह अवैद्य निकासी राशन डीलर की संलिप्तता के बिना सम्भव नहीं है। दुकानदार का जबाब असंतोष प्रद होने से अपीलार्थी को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के कारण अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा गेहूं की अवैद्य निकासी के लिए 300/–रूपये राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है । जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशनकार्ड संख्या 119000501921 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति के आधारकार्ड को लिक करके गेहूं की निकासी किये जाने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड संख्या 119000501921 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधारकार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये । इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाया गया है ? क्या आधारकार्ड किसी डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा यह भी एक जांच का विषय है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें । आधारकार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।
10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।
11. निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर